THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS
KNOWLEDGE
FINANCIAL EXPRESS
Read to Lead

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Akashdeep Singh Malwai Judicial Magistrate First Class-11, Jalandhar

Rajni Vs. Rajbir

CNR NO: PBJL03-037018-2023

Next Date: 02-04-2025

detail of offence:

Publication Issued To: Rajbir : S/o Sh. Naresh Kumar R/o Hno 371 Kanjhawala North West Delhi 110081

In above titled case, the accused could not be served through non bailable warrants of arrest proclamation is hereby made the said rajbir is required to appear before this court (or before me) on 02-04-2025 to answer the said complaint/case failing of which he shall be declared person, it is ordered that accused should appear in person or through counsel on 02-04-2025 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Jalandhar

Judicail Magistrate First Class-11 Jalandhar

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"
(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
केन्द्रीय सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में
और
स्प्रिंगमाउंट फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U74999DL2020PTC368055)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 1501ए, डेम्फ्रूट चैम्बर्स, 89 नेहरु प्लेस, साऊथ दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली–110019, इंडिया में स्थित है के मामले में
...याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के तहत खंड II के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **बृहस्पतिवार 09 जनवरी 2025** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होता है तो वह या तो **निवेशक शिकायत प्रारुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित के साथ अपनी आपत्ति **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2, विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003** के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा

त्रिवेणी अपार्टमेंट, ए–94, शॉप नं. 1 स्वयं सेवा ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी, विवेक विहार, नई दिल्ली–110095, इंडिया.

कृत्ते स्प्रिंगमाउंट फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/–
तिथि : 24.01.2025 तरुण सिंघल
स्थान : नई दिल्ली निदेशक
डीआईएन : 03418308

प्ररूप संख्या आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और
वैनेसा बाइंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: : U74140DL2010PTC206690)
जिसका पंजीकृत कार्यालय: **फ्लैट नंबर 753, कावेरी अपार्टमेंट पॉकेट–6, सैक्टर–डी, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070** में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **15 जनवरी 2025** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

फ्लैट नंबर 753, कावेरी अपार्टमेंट पॉकेट–6, सैक्टर–डी, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
वैनेसा बाइंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
दिनांक : 23.01.2025 **महेशा नंद शर्मा** (निदेशक)
स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 02780254

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"
(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
केन्द्रीय सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में
और
युक्ता इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U70101DL2012PTC237297)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : त्रिवेणी अपार्टमेंट, ए–94, शॉप नं. 1 स्वयं सेवा ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी, विवेक विहार, नई दिल्ली–110095, इंडिया में स्थित है के मामले में
...याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के तहत खंड II के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **बृहस्पतिवार 09 जनवरी 2025** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होता है तो वह या तो **निवेशक शिकायत प्रारुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित के साथ अपनी आपत्ति **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003** के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेंगे

त्रिवेणी अपार्टमेंट, ए–94, शॉप नं. 1 स्वयं सेवा ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी, विवेक विहार, नई दिल्ली–110095, इंडिया.

कृत्ते युक्ता इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/–
तिथि : 24.01.2025 नागेन्द्र कुमार
स्थान : नई दिल्ली निदेशक
डीआईएन : 03308778

केन फिन होम्स लिमिटेड
Can Fin Homes Ltd (Sponsor: CANARA BANK)
शॉप नं. 4, चतुर्थ तल, एस.एल. टॉवर, निकट बैंक ऑफ महाराष्ट्र कामर्शियल बेल्ट, अल्फा–1, ग्रेटर नोएडा (यू.पी.) पिन–201308
CIN: L85110KA1987PLC008699
ई–मेल: greaternoida@canfinhomes.com
मोबाइल सं : 7625079164, 0120-4569974

मांग सूचना

"वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं 54) की धारा 13(2) के अधीन

सेवा मे,
1. **आवेदकः श्री अभिषेक कुमार,** फ्लैट नंबर एफ–1, पहली मंजिल सामने बाईं ओर का भाग, प्लॉट नंबर 6, वीरंदावन गार्डन, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, पिन– 201005
   अन्य पताः हाउस नंबर 4ए राज बाग कॉलोनी साहिबाबाद गाजियाबाद
2. **सह–आवेदकः श्रीमती धर्मेश कुमारी,** फ्लैट नंबर एफ–1, पहली मंजिल सामने बाईं ओर का भाग, प्लॉट नंबर 6, वीरंदावन गार्डन, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, पिन– 201005
   अन्य पताः हाउस नंबर 4ए राज बाग कॉलोनी साहिबाबाद गाजियाबाद
3. **गारंटरः अंकुश कुमार दीक्षित,** 265 ए, श्याम पार्क मेन साहिबाबाद गाजियाबाद

नंबर **1 से 3,** आपने हमारी शाखा से **नंबर 1** की निम्नलिखित संपत्ति को गिरवी रखने की जमानत पर आवास ऋण लिया है। रुपये की राशि **रु. 21,66,299/–** (रुपये इक्कीस लाख छियासठ हजार दो सौ निन्यानबे मात्र) 06.01.2025 को कैन फिन होम्स लिमिटेड को अनुबंधित दर पर भविष्य के ब्याज के साथ देय है।

बंधक रखी आस्ति का विवरण

फ्लैट नं.एफ–1, प्रथम तल सामने बायां भाग, प्लॉट नं.6, वृंदावन गार्डन, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, पिन– 201005

संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं:

उत्तरः बिक्री विलेख के अनुसार, **दक्षिणः** बिक्री विलेख के अनुसार
पूर्वः बिक्री विलेख के अनुसार **पश्चिमः** बिक्री विलेख के अनुसार

आप को सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(2) के अधीन पंजीकृत मांग सूचना क्रमांक **1 से 3** को प्रेषित की गई थी। परंतु सूचना बिना सुपुर्दगी वापस प्राप्त की जा चुकी है। अतएव अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के अनुसार उक्त कर्जदार/रों के अंतिम ज्ञात पते के परिसर पर चस्पा करवा दी है। अतः समाचार पत्र में यह सूचना प्रकाशित की जा रही है। चूंकि आप मंजूरी की शर्तों का पालन करने में असफल रहे हैं, अतः यह खाता एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक **29.12.2024** को गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। एतद्द्वारा आपसे उपरोक्त राशि का भुगतान दिनांक **06.01.2025** से उस पर संविदा दर पर ब्याज सहित इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट के अधीन उपरोक्त प्रतिभूति प्रवर्तित करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु बाध्य होगा।

इसके अतिरिक्त कर्जदारों/गारंटरों का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

दिनांकः 23.01.2025 हस्ता./–
स्थानः ग्रेटर नोएडा प्राधिकृत अधिकारी
केन फिन होम्स लिमिटेड

फेडरल बैंक
आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार
एलसीआरडी/नई दिल्ली डिविजन, यू.जी.एफ., फेडरल टॉवर्स, 2/2 वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008 फोन नं. 011–40733980, 40733978 ई–मेल: ndllcrd@federalbank.co.in
CIN: L65191KL1931PLC000368 वेबसाईट: www.federalbank.co.in

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत सूचना.

(1) **श्री उमेश कुमार पुत्र भगमान राय,** ए–27/25, फ्लैट नं. 17, साई अपार्टमेंट–1, खानपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली– 110062

कि आप ने प्रमुख उधारकर्ता के रूप में बैंक के पक्ष में अनिवार्य प्रतिभूति अनुबंधों / ऋण प्रलेखों का निष्पादन करने के उपरांत नई दिल्ली/नेहरू प्लेस के माध्यम से 30.06.2022 को रु. 10,20,000/– (रुपये दस लाख बीस हजार मात्र) का संख्या 13027400003958 के साथ फेडरल पर्सनल कार लोन (एफपीसीएल) प्राप्त किया था।

बैंक से प्राप्त उपरोक्त ऋण सुविधाओं की प्रतिभूति के प्रति, आप ने निम्नलिखित वाहनों के संबंध में दृष्टिबंधन के माध्यम से बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित सृजित किया था :–

दृष्टिबंधककृत चल संपत्ति का विवरण

हुंडई वेन्यू 1.5 सीआरडीआई एमटी एस प्लस बीएस VI का दृष्टिबंधन, जिसका रंग – पोलर व्हाइट, चेसिस नंबर MALFC81DLNM345454, इंजन नंबर D4FANM592806, 2022 मॉडल, डीजल, पंजीकरण संख्या DL12CV7878

उपर्युक्त दृष्टिबंधककृत / बंधककृत संपत्तियाँ जो यहाँ इसमें इसके उपरांत 'प्रतिभूत परिसंपत्तियों' के रूप में संदर्भित हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वह द फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा आपको सूचित करते हैं कि बैंक की नई दिल्ली / नेहरू प्लेस शाखा के साथ अनुरक्षित संख्या 13027400003959 के साथ आपके एफपीसीएल के अंतर्गत 02.01.2025 के अनुसार आपकी ओर से रु. 7,81,402/– (रुपये सात लाख इक्यासी हजार चार सौ दो मात्र) की एक राशि देय–भुगतेय है। प्रतिभुगतान में हुई चूक को दृष्टिगत रखते हुए आपके ऋण खाता / खातों को आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार 31–12–2024 को अनिष्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अतः आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, 02.01.2025 से भुगतान की तिथि तक आपके एफपीसीएल के अंतर्गत अतिरिक्त / दांडिक शुल्कों एवं लागत तथा लागतों के साथ मासिक शेषों के साथ 9.45 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ उक्त राशि का भुगतान कर दें, और भुगतान करने में विफल होने पर बैंक जो है वह आपके तथा ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसमें आपको कोई भी भावी सूचना दिये बिना बकाया देयराशियों की वसूली करने हेतु प्रतिभूत परिसंपत्तियों का पट्टा, समनुदेशन अथवा विक्रय द्वारा हस्तांतरण करने अथवा उनका प्रबंधन अपने हाथ में लेने के अधिकार सहित उनका अधिग्रहण करने जैसे प्रयोग सम्मिलित होंगे। यह सूचित किया जाता है कि आप बैंक की लिखित सहमति के बिना ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों में से किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। अपने दायित्व का निर्वहन करने में आपकी विफलता की स्थिति में बैंक जो है वह ऊपर उल्लेखितानुसार उपचारात्मक कार्रवाइयां आरंभ करेगा और आप इसके बाद उक्त से संबद्ध बैंक को देय समस्त लागतों, प्रभारों और उपगत व्ययों का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री से होनेवाली आय से बकाया देयराशियों की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती है, तो बैंक जो है वह कोई भावी सूचना दिये बिना ही शेष राशि की वसूली के लिए आपके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप में कार्रवाई करेगा।

आपका ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों (प्रतिभूत संपत्तियों) के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है।

यह सूचना जो है वह अपनी देयराशियों की वसूली करने के लिए बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपचारों के पूर्वाग्रह के बिना निर्गत की गई है। यह सूचना 3 जनवरी 2025 को निर्गत की गई थी और सूचना आपको प्रेषित की गई थी / भेजी गई थी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आपको प्राप्त नहीं हुई है इसीलिये सरफॉएसि अधिनियम के अनुसार इस प्रकाशन की अनिवार्यता उभरी है।

आज दिनांक 23 जनवरी 2025 कृते फेडरल बैंक लिमिटेड, सह उपाध्यक्ष
(सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी)

सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
SAVE
(पूर्व में न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
कार्यालयः यूनिट नंबर 761, 7वीं मंजिल वेगास मॉल, प्लॉट नंबर 06, सेक्टर–14, द्वारका, नई दिल्ली–110075, ई–मेलः info@newhabitat.in, info@savehfl.in
वेबः www.savehfl.in, मो.: +91-9810083317

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (सरफैसी), 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेन्ट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) से नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह ऋणधारकों द्वारा प्राप्त ऋणों जो नीचे वर्णित तिथि को नीचे वर्णित शेष बकाये के साथ एनपीए बन चुका है, के संदर्भ में। हमने पहले ही स्पीड पोस्ट द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (सरफैसी), 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उन्हें मांग सूचना का विवरण जारी किया था। हमने, यदि आप 60 दिनों के भीतर नीचे वर्णित राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं, तो सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार आप में से एक के स्वामित्व की प्रतिभूतियों का कब्जा करने की अपनी मंशा दर्शा दी थी। यदि आप यहां नीचे वर्णित देयता का निष्पादन नहीं करते हैं तो सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत क्रेडीटर सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के माध्यम से प्रदत्त किसी एक अधिकारों को प्रयोग कर सकता है तथा सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत तथा वांछित रुप में इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य पद्धति में कब्जा सूचना/नीलामी सूचना प्रकाशित करने के अतिरिक्त सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत क्रेडीटर आपका फोटोग्राफ भी प्रकाशित कर सकता है। विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों का नाम मांग और एनपीए की तिथि	सूचना तिथि बकाया राशि	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
1.	ऋण खाता संख्या HSG/N/HEA/LUC/0224/0007 और NHS/N/HEA/LUC/0324/0002 जिसे 03/01/2025 को एनपीए वर्गीकृत किया गया है। 1. हरदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जिंदरपाल सिंह, 2. जसमीत कौर पत्नी स्वर्गीय श्री जिंदरपाल सिंह, 3. हरनीत कौर पुत्री स्वर्गीय श्री जिंदरपाल सिंह और 4. इंद्रप्रीत कौर पत्नी हरदीप सिंह, निवासी फ्लैट नंबर 303, ऋषि नगर अपार्टमेंट, आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226005 यहां भी:– लक्ष्मी फार्मा, दिल लखनवी प्लाजा, प्रथम तल 110/18, शिवाजी मार्ग, नया गांव पूर्वी लखनऊ–226018	20/01/2025 Rs.34,55,650/-	आवासीय फ्लैट नंबर 303, तृतीय तल, "ऋषि नगर अपार्टमेंट", भूखंड खसरा संख्या 703 एस पर स्थित, केम्हाग पर निर्मित क्षेत्रफल 90.89 वर्ग मीटर, मोहल्लाः– मिलावा (ऋषि नगर), वार्ड–गीतापल्ली, तहसील और जिला लखनऊ पूर्व : फ्लैट संख्या 302 पश्चिम : खुला आकाश उत्तर : प्रवेश और मार्ग दक्षिण : खुला आकाश

उपरोक्त ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों को सलाह दी जाती कि 1) अधिक तथा सम्पूर्ण विवरणों के लिये अधोहस्ताक्षरी से मूल सूचना प्राप्त करें, तथा 2) सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत आगे की कारवाई से बचने के लिये उपरोक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर ब्याज तथा लागत आदि के साथ शेष बकाये राशि का भुगतान करें।

दिनांक 22–01–2025, स्थानः लखनऊ, उत्तर प्रदेश प्राधिकृत अधिकारी, सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड कानपुर-01
आवास कम्प्लेक्स योजना सं.-1, कल्याणपुर, कानपुर
E-mail-eecdkanpur01@gmail.com

पत्र सं. 175/एस–1/03 **ई–निविदा सूचना** दिनांकः 23/01/2025

एच.बी.टी.यू. कानपुर परिसर में कम्प्यूटर साइंस इन्जीनियरिंग भवन के विस्तारीकरण तथा मरम्मत के कार्य हेतु खण्ड कार्यालय के पत्र सं. 171/एस–1/02 दि. 23.01.2025 द्वारा ई–निविदा सूचना आमंत्रित की गयी है, जिसकी विस्तृत सूचना ई–टेण्डर वेबसाइट etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। अधिशासी अभियन्ता

इंडोसोलर लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 301, तृतीय तल, बिल्डिंग 02, सदर्न पार्क, साकेत, नई दिल्ली– 110017, भारत,
सीआईएन : L18101DL2005PLC134879
ई–मेल : secretarial@waaree.com | वेबसाइट : www.indosolar.co.in | दूरभाष सं.: 022– 6939 5500

31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही एवं समाप्त नौ माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश

रु. लाख में

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31 दिसंबर 2024 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही 30 सितंबर 2024 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही 31 दिसंबर 2023 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त नौ माह 31 दिसंबर 2024 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त नौ माह 31 दिसंबर 2023 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2024 (लेखापरीक्षित)
1	कुल आय	10,390.04	2,815.69	6.56	13,215.83	18.20	85.01
2	साधारण गतिविधियों से अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1,023.05	948.30	(502.76)	1,473.31	(1,062.78)	(1,544.37)
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	1,023.05	948.30	(502.76)	1,473.31	(1,062.78)	(1,544.37)
4	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	1,023.50	948.30	(502.76)	1,473.76	(1,062.78)	(1,544.37)
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट)	1,023.50	948.10	(502.76)	1,473.55	(1,062.78)	(1,544.37)
6	प्रदत्त समता अंश पूंजी (रु. 10/– प्रति अंश का अंकित)	4,160.37	4,160.37	4,160.37	4,160.37	4,160.37	4,160.37
7	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यॉकन आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन–पत्र में निदर्शितानुसार	-	-	-	-	-	(5,597.14)
8		2.46	2.28	(1.21)	3.54	(2.55)	(3.71)
		2.46	2.28	(1.21)	3.54	(2.55)	(3.71)

टिप्पणियाँ :–
1. उपरोक्त सारॉश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही तथा समाप्त नौ माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारॉश हैं। दिनॉक 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.indosolar.co.in पर उपलब्ध है।
2. दिनॉक 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही तथा समाप्त नौ माह के कंपनी के उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा निदेशक मंडल द्वारा 22 जनवरी 2025 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया गया है।
3. उपरोक्त परिणाम, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के अनुपालन में हैं।

कृते इंडोसोलर लिमिटेड
हितेश पी मेहता
हस्ता./–
स्थान : मुंबई डीआईएन : 00207506
दिनॉक : 22 जनवरी, 2025 निदेशक

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"
(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
केन्द्रीय सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में
और
मैट्रिक्स रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U70100DL2010PTC204966)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : क्वेबिन–2, ऑफिस नं. 1221–ए, देविका टॉवर, 12वा फ्लोर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019, इंडिया. में स्थित है के मामले में
...याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के तहत खंड II के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **बृहस्पतिवार 09 जनवरी 2025** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होता है तो वह या तो **निवेशक शिकायत प्रारुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) मे शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित के साथ अपनी आपत्ति **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003** के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा

केबिन–2, ऑफिस नं. 1221–ए, देविका टॉवर, 12वा फ्लोर, 6, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019, इंडिया.

कृत्ते मैट्रिक्स रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/–
तिथि : 24.01.2025 अनुराग कुलश्रेष्ठ
स्थान : नई दिल्ली निदेशक
डीआईएन : 09760926

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
एट्रोक्स टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U72900DL2021PTC389084)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्रॉप नं. ए–1/60, यू/जी फ्लोर, खसरा नं. 156/2, फ्रीडम फाइटर एन्क्लेव, नेब सराय, साऊथ दिल्ली, दिल्ली–110038 इंडिया. में स्थित है
...आवेदक

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख सोमवार 06 जनवरी, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

प्रॉप नं. ए–1/60, यू/जी फ्लोर, खसरा नं. 156/2, फ्रीडम फाइटर एन्क्लेव, नेब सराय, साऊथ दिल्ली, दिल्ली–110038 इंडिया.

कृत्ते आवेदक